



लोक शिक्षण संचालनालय मध्य प्रदेश

गौतम नगर, भोपाल - 462021

:: आदेश ::



भोपाल, दिनांक 12/08/2024

क्रमांक एफ 01/01/CPI/आयुक्त/88209375816/2023/20-1:: म.प्र.शासन स्कूल शिक्षा विभाग के राजपत्रित सेवा भर्ती नियम "मध्य प्रदेश राज्य एवं अधिनस्थ शिक्षा सेवा (शाला शाखा) भर्ती एवं पदोन्नति नियम वर्ष 2016" में दिनांक 20.12.2022 को किये गए संशोधन द्वारा उच्च पद का प्रभार दिए जाने संबंधी प्रावधान किया गया है।

उच्च पद प्रभार हेतु निम्नानुसार तालिका के कॉलम क्रमांक-02 में दर्शाए गए लोकसेवक को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक कॉलम क्रमांक-06 अनुसार उच्च पद का प्रभार स्वेच्छिक आधार पर सौंपते हुए कॉलम क्रमांक-07 में दर्शाई गई संस्था में तत्काल प्रभाव से पदस्थ किया जाता है।

यूनिक आई.डी.	नाम एवं पद विषय	कार्यरत संस्था	कार्यरत एवं डाइस कोड	जिला	प्रभार की नवीन प्रभार का पदनाम	संस्था का नाम एवं डाइस कोड	नवीन पद स्थापना का जिला	ग्रेडेशन नंबर
1	2	3	4	5	6	7	8	9
BA8959	Govind Ballabh Awasthi [BA8959] Madhymik Shikshak	Political Science (HS/HSS Teachers)	23060302402 - Gms Bakaspur (1 To 8)		Ucch Madhyamik Shikshak (New Cadre)	23060303132 - Ghss Girls Badarwas (9 To 12)	Shivpuri	6638

1. इस आदेश के आधार पर संबंधित लोकसेवक उच्चतर पद श्रेणी के वेतन पर कोई दावा नहीं कर सकेगा और न ही इस आदेश के आधार पर उच्चतर पद हेतु वरिष्ठता एवं अन्य स्वत्वों की मांग कर सकेगा। उपरोक्तानुसार उच्च पद पर कार्य करने वाले किसी भी लोकसेवक को भविष्य में पदोन्नति के विचारण में वरीयता का कोई अधिकार एवं किसी भी प्रकार के अतिरिक्त भत्ते आदि की पात्रता नहीं होगी।
2. संबंधित लोकसेवक, प्रभारित उच्च पद की समस्त शक्तियों का प्रयोग कर सकेगा जिस पद पर वह स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया गया है। प्रभारी प्राचार्य समस्त वित्तीय एवं प्रशासनिक शक्तियों का नियमानुसार उपयोग कर सकेगा।
3. उच्च श्रेणी शिक्षक/माध्यमिक शिक्षक के उच्च पद प्रभार के लिए डी.एड/बी.टी.आई/बी.टी.सी. योग्यता तथा व्याख्याता/उच्च माध्यमिक शिक्षक के उच्च पद प्रभार के लिए बी.एड योग्यता अनिवार्य है।
4. उच्च श्रेणी शिक्षक/माध्यमिक शिक्षक उच्च पद प्रभार के लिए संबंधित विषय में स्नातक उपाधि एवं व्याख्याता/उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए स्नातकोत्तर उपाधि मान्यता प्राप्त संस्थान से नियमानुसार प्राप्त की हो।
5. यदि लोकसेवक बिन्दु क्र. 3 एवं 4 अनुसार योग्यता धारित नहीं करता है तो आदेश स्वतः निरस्त माना जाएगा।
6. लोकसेवक की कार्यमुक्ति/कार्यभार ग्रहण कराने की कार्यवाही, लोकसेवक के उच्च पद प्रभार की पात्रता परीक्षण उपरांत जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी। संबंधित की वरिष्ठता के संबंध में यदि पूर्व में वचन पत्र नहीं लिया गया है तो वचन पत्र प्राप्त कर परीक्षण उपरांत कार्यवाही की जाए।
7. संबंधित लोकसेवक को नवीन पदांकित संस्था में उच्च पद का प्रभार 07 कार्य दिवसों में ग्रहण करना अनिवार्य होगा।
8. नवीन पदांकित संस्था में प्रभार ग्रहण करने की सूचना संबंधित कार्यालय प्रमुख जिला शिक्षा अधिकारी के माध्यम से आयुक्त लोक शिक्षण को देनी होगी।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(शिल्पा गुप्ता)
आयुक्त
लोक शिक्षण म.प्र.

(शिल्पा गुप्ता)
आयुक्त
लोक शिक्षण म.प्र.

भोपाल, दिनांक 12/08/2024

पृ/क्र/एफ 01/01/CPI/आयुक्त/88209375816/2023/20-1

प्रतिलिपि :-

1. विशेष सहायक मान. मंत्री, स्कूल शिक्षा विभाग, म.प्र.
2. महालेखाकार, म.प्र. ग्वालियर
3. संचालक, राज्य शिक्षा केंद्र
4. अपर परियोजना संचालक, समग्र शिक्षा अभियान, म.प्र. लोक शिक्षण, भोपाल
5. कलेक्टर/मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, समस्त जिले म.प्र.
6. संभागीय संयुक्त संचालक, लोक शिक्षण समस्त संभाग म.प्र.
7. प्राचार्य शिक्षा महा विद्यालय समस्त जिले म.प्र.
8. जिला शिक्षा अधिकारी, समस्त जिले म.प्र.
9. प्राचार्य डाइट समस्त जिले म.प्र.
10. जिला परियोजना समन्वयक, जिला शिक्षा केंद्र समस्त जिले म.प्र.
11. संबंधित लोकसेवक की ओर पालनार्थ
12. गार्ड फाइल

आयुक्त
लोक शिक्षण म.प्र.